

न्यायालय श्री पुरुषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेंस संख्या : 2B/2011(आरसीएमएस संख्या : 2011/00047)

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

श्रवण पुत्र भैरु, जाति-बैरवा, निवासी-डालनिया, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
(मृतक)

1/1 लादी देवी पत्नी स्व० श्री श्रवण, जाति-बैरवा, निवासी-प्लाट नं०-119डी,
अनिता कॉलोनी, रामपुरा रोड, सांगानेर, जिला-जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपटित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :-

1. पेशेकार सरकार।
2. अप्रार्थी बाबजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 23.09.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोवस्त (जगाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम हचूकडा की आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर मुमकिन नाला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा श्रवण पुत्र भैरु, जाति-चमार के हक में दिनांक 11.09.1978 को आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 167 श्रवण के नाम गैर-खातेदारी दर्ज होकर अप्रार्थी श्रवण के गैर-खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकीन नाला आराजी को निजी गैर-खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकीन नाला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।




विद्वान् पेशेकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम हचूकडा की आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा सिवायचक विला लगानी किरम जमीन गैर-मुमकिन नाला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा श्रवण पुत्र श्री भैरू, कौम-चमार के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 167 श्रवण के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी श्रवण की गैर-खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाव, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 375 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा वाके ग्राम हचूकडा श्रवण पुत्र श्री भैरू, जाति-चमार को उप-खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 11.09.1978 को आवंटन किया गया है। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं0 167 के कॉलम सं0 14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटन किया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 में गैर-मुमकिन नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। आवंटन दिनांक 11.09.1978 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नाला की आराजी को दिनांक 11.09.1978 को श्रवण पुत्र भैरू, जाति-चमार को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटनी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं



आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान परोकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 ग्राम हचूकडा की आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नाला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा में से 2 बीघा श्रवण पुत्र भैरू, कौम-चमार के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 167 श्रवण के नाम दर्ज होकर गैर-खातेदारी का स्वीकार होने के फलस्वरूप अप्रार्थी श्रवण की गैर-खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकिन नाला आराजी को निजी गैर-खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरवक्त बहस विद्वान् परोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 11.09.1978 को राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन नाला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011-2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन श्रवण पुत्र भैरू, जाति-चमार को दिनांक 11.09.1978 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं० 167 ग्राम हचूकडा से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 में निजी गैर-खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर-मुमकिन नाला की भूमि की निजी गैर-खातेदारी/खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नाला भूमि का आवंटन कर गैर-खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ



से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर-मुमकिन नाला भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता इसके बावजूद नियमों के विपरीत आवंटन कर गैर-खातेदारी दी गई है/ली गई है जो प्रारम्भ से शून्य है। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को गैर-खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 375 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा बाके ग्राम हचूकडा आवंटन दिनांक 11.09.1978 बहक श्रवण पुत्र भैरु, जाति-चमार को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर-खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकिन नाला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 18.11.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.09.2019 को सुनाया गया।



(पुरुषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर